भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त
महावीर नगर प्रथम, झालावाड रोड
कोटा– 324005 राजस्थान

फा0स0 I(22)-12/ADM/2013. दिनांक 15.02.2013

विज्ञप्ति

राजस्थान इकाई में अफीम फसल वर्ष 2012–13 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर शामियाना, कनात एवं बिजली के सामान आदि किराये पर सप्लाई करने हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। तौल कार्य माह अप्रैल प्रथम सप्ताह से अप्रैल के तृतीय सप्ताह तक चलने की संभावना है, झालावड का तौल 4 से 5 दिनों का होगा। लेकिन इस अवधि में परिर्वतन हो सकता है। यह अवधि कम या अधिक हो सकती है। इसी प्रकार से सामान की मात्रा भी कम या अधिक हो सकती हैं।

क स	आइटम का नाम	कोटा एवं झालावाड तौल केन्द्र	प्रतापगढ मुख्य तौल केन्द्र	प्रतापगढ अतिरिक्त तौल केन्द्र	भीलवाडा मुख्य तौल केन्द्र	चित्तौड– प्रथम मुख्य तौल केन्द्र	अफीम गोदाम चित्तौड
	तौल का स्थल	झालावाड	प्रतापगढ	छोटी सादडी	सिंगोली श्याम एवं भीलवाडा	चित्तौडगढ	चित्तौडगढ
1	शामियाना(15x15)	60	50	60	60	60	8
2	कनात (15x6)	30	30	40	30	25	5
3	दरी (10x 8)	50	10	10	140	60	20
4	कुर्सी (Moulded)	50	75	75	70	80	20
5	टेबल	40	45	50	45	40	8
6	टेबल कवर	40	45	50	45	40	8
7	त्रिपाल(15x15)	05	-----	-----	0	20	-----
8	परदे (15x10)	30	40	40	30	30	4
9	पानी का ड्रम	05	-----	5	15	08	----
10	कुलर	15	25	25	30	15	2
11	पंखा पेडस्टल	20	20	20	30	15	3
12	पलंग (प्लाईवुड)	20	10	30	35	15	20
13	जनरेटर(10 KV)	2	2	2	2	2	1
14	हैलोजन लाईट	25	10	10	25	15	15
15	ट्यूब लाईट (4')	50	40	40	65	50	----
16	सी एफ एल(24 वाट)	25	20	20	25	25	25
17	मेटल लाईट (150 वॉट)	----	4	4	----	----	----
18	तख्ता लकडी	2	2	2	4	10	----
19	बिस्तर सेट	20	20	25	60	10	20
20	स्टेबलाईजर	2	----	----	2	02	----
21	माईक सेट	1	1	1	1	1	----
22	प्लास्टिक कोटेड कारपेट मेटिंग	6000 sq.ft.	12000 sq.ft.	12000 sq.ft.	4000 sq.ft.	6000 sq.ft.	----
24	बेरियर (बेरीकेटीन्ग)	----	1600 ft.	1600 ft.			

नियम एवं शर्ते

1. उपरोक्त सामान की आपूर्ति सम्बंधित जिला अफीम अधिकारी के विभिन्न तौल केन्द्रों पर करनी होगी। समस्त सामान को, तौल प्रारम्भ होने वाले केन्द्र पर पहुचाने तथा तौल समाप्ति वाले केन्द्र से वापस उठाने की जिम्मेदारी स्वंय पार्टी की होगी।
2. तौल केन्द्र अनुसार निविदा देनी होगी। निविदा में प्रतिदिन किराये में सम्मलित सर्विस टैक्स व अन्य टैक्स अलग–2 कर बताए।
3. निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रूपये 5000/–(पॉच हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।
4. प्रत्येक तौल केन्द्र पर जनरेटर चलाने व अन्य सामान के रख रखाव के लिए फर्म का एक व्यक्ति हमेशा केन्द्र पर रहेगा जिसका कोई व्यय विभाग द्वारा नही दिया जाएगा ।
5. सभी सामान प्रत्येक डिवीजन की आवश्यकतानुसार सही हालत में सप्लाई करना होगा । सामान की टूट फूट व खोने की जिम्मेदारी फर्म की अपनी होगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्राचार/क्लेम मान्य नही होगा।
6. निविदादाता अपनी मोहरबन्द निविदा जिस पर **निर्दिष्ट डिवीजन व तौल केन्द्र का नाम** व मद अंकित हो, इस कार्यालय में दिनांक **01.03.13** को **18.00** बजे तक प्रस्तुत कर सकते है । जिसे दिनांक 04.03.13 को 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

7. इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10.00 बजे से 18.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

8. फर्म द्वारा सप्लाई किया गया सामान व उसकी देखभाल संतोषजनक नही होने पर फर्म का भुगतान रोका जा सकता है, अथवा कटौती की जा सकती है। यदि कोई सामान पुराना व खराब पाया जाता है तो जि.अ.अ. अन्य फर्मो से सामान मंगवा सकते हैं, जिसका भुगतान निविदादाता के भुगतान से काटा जायेगा।
9. निविदादाता दर देते समय कृपया ध्यान रखें कि इन सामानों के साथ उपयोग में आने वाले आवश्यक सामान यथा बॉक्स, रस्सी अथवा बिजली के तार, प्लग बोर्ड, एम.सी.बी., पेनल बोर्ड आदि शामिल है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज विभाग द्वारा देय नही है।
10. **शामियाना एवं अन्य सामानों की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए**। यदि शामियाना, दरियॉ, कारपेट तथा अन्य सामानों की क्वालिटी खराब अथवा निम्न स्तर की पाई गई तो बिल की राशी में कटौती की जाएगी।
11. अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक या सभी निविदा को निरस्त करे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नही किया जाएगा। सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
12. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही कोटा न्यायालय के अधीन होगी।
13. केवल वही फर्म निविदाएं प्रस्तुत करे जो आयकर रिटर्न भरती है। पिछले वर्ष की आयकर रिटर्न तथा पेन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें ।
14. उक्त निविदा इस विभाग की वेब साईट www.cbn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से
(सीताराम शर्मा)
उप नारकोटिक्स आयुक्त,
राजस्थान, कोटा।